

कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) इंडिया एवं लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों (डीपीई दिशा-निर्देश) के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड – 49 के अनुसार रिपोर्ट में नेशनल फर्टिलाइज़र्स में कारपोरेट शासन प्रणाली एवं प्रक्रियाओं के ब्यौरे निहित हैं।

1. शासन संहिता पर कंपनी का सिद्धांत

कारपोरेट शासन सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों का एक समूह है जिनका कंपनी द्वारा अन्य शेयरधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए पालन किया जाता है। सरकार, ग्राहक, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों और अन्य शेयरधारकों के साथ सभी प्रकार का लेनदेन करने में ईमानदारी, पारदर्शिता और कानूनों का अनुपालन करना अच्छे कारपोरेट शासन के उद्देश्य हैं।

एनएफएल में वर्षों से शासन प्रक्रियाओं और प्रणालियों को मजबूत बनाया गया है। सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के अलावा, पारदर्शिता, खुलासा, आंतरिक नियंत्रण और आचार नीति का संवर्धन करने के लिए प्रभावी शासन पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर बल दिया गया है।

कंपनी का मानना है कि अच्छा शासन एक सतत् प्रक्रिया है और इसमें इस संबंध में उच्चतम मानकों का अनुसरण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया जाता है। कंपनी इस स्पष्ट उद्देश्य के साथ कारपोरेट शासन की अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा करती है कि न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का पूरी निष्ठा से अनुपालन किया जाए बल्कि कारपोरेट शासन की उत्कृष्ट पद्धतियों का लगातार कार्यान्वयन भी किया जाए।

कारपोरेट शासन पर कंपनी के सिद्धांत में अपने प्रचालनों तथा अपने शेयरधारकों के साथ परस्पर बातचीत के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता के उच्चतम स्तर प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। कंपनी इस संबंध में उच्चतम मानकों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी उत्कृष्ट शासन पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध है जो लम्बे समय तक टिकाऊ वैल्यू का सृजन करती है। शासन ढांचा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होता है:-

- निदेशक मण्डल का गठन जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त हो।
- बोर्ड तथा इसकी समितियों को समय पर सूचना देना।
- जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की एक ठोस प्रणाली।
- सभी शेयरधारकों को सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर बताना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही।
- सभी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करना।

कम्पनी में वर्षों से शासन पद्धतियों और प्रणालियों को मजबूत बनाया गया है। ये पद्धतियां व्यापार के आयोजन एवं मूल्य सृजन के तरीके को पारिभाषित करती हैं। व्यापार संबंधी निर्णय लेने से पूर्व स्टेक होल्डर्स के हितों को ध्यान में रखा जाता है।

कम्पनी ने प्रणाली के प्रत्येक घटक की परिभाषित भूमिका एवं जिम्मेदारियों के साथ एक आन्तरिक शासन ढांचा बनाया है। बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी एवं पारदर्शी रूप में निपटाने के लिए कई समितियां बनाई हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) कम्पनी के सम्पूर्ण कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार हैं। कम्पनी के कार्यों में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दो पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारी सहायता करते हैं।

कम्पनी अपने स्टेकहोल्डर्स के साथ डीलिंग में निष्ठा, पारदर्शिता, स्वावलम्बन एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत मानकों का अनुपालन करती है। कम्पनी ने नीतिगत तरीके से कारोबार करने के लिए कई संहिताओं एवं नीतियों को अपनाया है। उनमें से कुछ संहिताएं एवं नीतियां निम्नानुसार हैं :

- आचरण संहिता एवं बोर्ड की नीति तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक
- आन्तरिक व्यापार की संहिता
- स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण नीति

- व्हीसल ब्लोअर नीति
- सत्यनिष्ठा समझौता (Integrity Pact)

2. निदेशक मण्डल

2.1 बोर्ड का आकार

कंपनी एक सरकारी कंपनी है जिसका अर्थ कंपनी अधिनियम है चूंकि प्रदत्त शेयरपूंजी का 90% भारत के राष्ट्रपति के पास है। बोर्ड के सदस्यों की संख्या 3 निदेशकों से कम या 12 निदेशकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

2.2 बोर्ड का गठन

31 मार्च, 2014 को निदेशक मण्डल में नौ निदेशक थे जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (विपणन) तथा निदेशक (तकनीकी) सहित, तीन पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशक तथा दो भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति तथा चार स्वतंत्र निदेशक थे। निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल वार्षिक रिपोर्ट में अन्य जगह दिया गया है।

स्टॉक एक्सचेंज से संबद्ध सूचीबद्धता करार में यह निर्धारित है कि जहां निदेशक मण्डल का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक है, वहां कम से कम बोर्ड के एक-तिहाई सदस्यों में स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे तथा यदि वह कार्यकारी निदेशक होता है तो बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। वर्ष के दौरान, बोर्ड की संरचना सूची करार के अनुसार नहीं थी क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निर्धारित संख्या से कम थी जैसा कि नीचे दिए गए ब्योरे से देखा जा सकता है:-

अवधि		निदेशक मण्डल का गठन		
से	तक	कुल	स्वतंत्र	अन्य
1.4.2013	1.5.2013	5	1	4
2.5.2013	5.5.2013	6	1	5
6.5.2013	6.5.2013	8	3	5
7.5.2013	20.8.2013	9	3	6
21.8.2013	20.2.2014	8	3	5
21.2.2014	31.3.2014	9	4	5

कंपनी सूचीबद्धता करार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति संबंधी आवश्यक उपाय करने के लिए मामले को भारत सरकार के साथ लगातार उठा रही है।

जैसा कि सूचीबद्धता करार के खण्ड-49 के अंतर्गत अपेक्षित है, कोई भी निदेशक बोर्ड की दस से अधिक समितियों का सदस्य तथा जहां वह सदस्य है, उनमें से पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों का कंपनी, इसके प्रवर्तकों अथवा प्रबन्धन के साथ सिटिंग फीस प्राप्त करने के अलावा कोई अन्य मैटीरियल अथवा धन संबंधी लेनदेन नहीं था, जिससे निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित हो।

2.3 निदेशकों का कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा साठ वर्ष है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों को प्रभार लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की तारीख तक या भारत सरकार से आगे प्राप्त होने वाले अनुदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया जाता है। सरकार द्वारा नामित निदेशक उर्वरक विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उर्वरक विभाग, भारत सरकार के अधिकारी न रहने पर बोर्ड से सेवा-निवृत्त हो जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार की सिफारिश पर सामान्यतया तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

2.4 बोर्ड से संबंधित अन्य विवरण

वर्ष के दौरान कार्यकाल से संबंधित ब्यौरा, निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक / समिति सदस्यताओं (अर्थात् लेखा-परीक्षा समिति और सेबी की कारपोरेट शासन संहिता के अनुसार शेरधारक शासन समिति) की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:-

क्र. सं.	निदेशक (सर्वश्री)	श्रेणी	कार्यकाल		अन्य बोर्डों / समितियों में		
			से	तक	निदेशक पद	सदस्यता	अध्यक्षता
01.	आर.जी. राजन	सीएमडी	6.1.2013	21.8.2013	5	-	-
02.	सुश्री नीरू अबरोल, निदेशक (वित्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	ईडी	02.05.2013	14.5.2014	-	-	-
			15.5.2014	जारी			
03.	कैप्टन पवन कुमार कौल निदेशक (विपणन)	ईडी	07.02.2011	जारी	1	-	-
04.	सी.एम.टी. ब्रीटो निदेशक (तकनीकी)	ईडी	07.05.2013	31.10.2013	1	-	-
05.	एम सागर मैथ्यूज़ निदेशक (तकनीकी)	ईडी	1.11.2013	जारी	-	-	-
06.	सतीश चन्द्र	एनईडी-सरकारी नामांकक	27.10.2008	30.6.2014	4	-	-
07.	सुरेश चन्द्र गुप्ता	एनईडी-सरकारी नामांकक	12.09.2011	22.5.2014	2	1	-
08.	मुनिकोटि निरंजन राव	एनईआईडी	06.05.2011	5.5.2014	-	-	-
09.	एम. रमन	एनईआईडी	06.05.2013	जारी	3	-	-
10.	विक्रम श्रीवास्तव	एनईआईडी	06.05.2013	जारी	1	-	-
11.	गुरिन्दरजीत सिंह सन्धू	एनईआईडी	21.02.2014	जारी	-	-	-
12.	राजीव यादव अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	एनईडी-सरकारी नामांकक	17.07.2014	जारी	-	-	-

ई.डी.- कार्यकारी निदेशक, एन.ई.डी.- गैर कार्यकारी निदेशक, एन.ई.आई.डी.- गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

टिप्पणी:

1. सुश्री नीरू अबरोल को दिनांक 02 मई, 2013 को बहाल किया गया और उन्होंने दिनांक 22 अगस्त, 2013 से 14 मई, 2014 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।
2. निदेशकों का प्रोफाइल अलग से दिया गया है।

2.5 उत्तरदायित्व

बोर्ड कंपनी को कार्यनीतिक निर्देश उपलब्ध कराता है तथा उसका मूल्यांकन करता है। इसमें औपचारिक विषयों की सूची होती है जिन पर विचार करके निर्णय लिया जाता है, जिसमें कारपोरेट निष्पादन, वित्तीय संसाधनों, कार्यनीतिक निर्णय, नीति एवं नियंत्रण, कारपोरेट योजना, संगठनात्मक ढांचा तथा शेरधारकों को रिपोर्टिंग की समीक्षा करना शामिल है।

2.6 स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की बैठकों एवं ऑडिट कमेटी में विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वित्त, लेखा-परीक्षा आदि के क्षेत्र में अपने व्यापक अनुभव से मदद करते हैं।

2.7 बोर्ड की बैठकें, कार्यसूची और कार्यवृत्त

कंपनी वर्ष में बोर्ड की कम से कम चार बैठकें, अर्थात् प्रत्येक तिमाही में एक बैठक का आयोजन करती है, ताकि वित्तीय परिणामों तथा अन्य महत्वपूर्ण मद्दों की समीक्षा की जा सके। दो बैठकों के बीच अंतर तीन कैलेण्डर माह से अधिक नहीं होना चाहिए। चार अनुसूचित बोर्ड बैठकों के आयोजन के अलावा, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोर्ड की अतिरिक्त बैठकें भी बुलाई जाती हैं।

कंपनी में सभी विभाग बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने वाले मामलों के संबंध में पहले से कंपनी सचिव को सूचना देते हैं। सामान्यतया बैठक से पहले कार्यसूची को बोर्ड को प्रचालित किया जाता है। कार्यसूची में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं शामिल होती हैं ताकि बैठक में अर्थपूर्ण और ध्यान-केन्द्रित विचार-विमर्श किया जा सके।

बोर्ड की बैठक की कार्यसूची और कार्यवृत्त तैयार करते समय कंपनी सचिव को कंपनी अधिनियम, 1956 तथा अन्य विद्यमान कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। बोर्ड अपनी विभिन्न समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को भी संज्ञान में लेता है जिन्हें उनके संबंधित अध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है।

बोर्ड/कमेटी की बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कम्पनी के संबंधित विभागों को शीघ्रता से सूचित किया जाता है। गत बैठकों के कार्यवृत्तों/निर्णयों पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट बोर्ड/कमेटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाती है।

2.8 आयोजित बैठकें

वर्ष के दौरान बोर्ड की 10 बैठकें आयोजित की गईं : 2 अप्रैल, 2013, 6 मई, 2013, 29 मई, 2013, 1 जुलाई, 2013, 12 अगस्त, 2013, 24 अक्टूबर, 2013, 11 नवंबर, 2013, 17 दिसम्बर, 2013, 12 फरवरी, 2014 तथा 21 फरवरी, 2014. वार्षिक आम सभा 17 सितंबर, 2013 को आयोजित की गई थी। बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम सभा में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

निदेशक का नाम (सर्वश्री)	श्रेणी	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकें		पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
		आयोजित	उपस्थिति	
आर.जी. राजन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	05	05	लागू नहीं
सुश्री नीरु अबरोल	ईडी	08	08	उपस्थित
कैप्टन पवन कुमार कौल	ईडी	10	10	उपस्थित
सीएमटी ब्रीटो	ईडी	04	04	उपस्थित
एम. सागर मैथ्युज़	ईडी	04	04	लागू नहीं
सतीश चन्द्र	एनईडी-सरकारी नामांकक	10	08	नहीं
सुरेश चन्द्र गुप्ता	एनईडी-सरकारी नामांकक	10	08	नहीं
मुनिकोटि निरंजन राव	एनईआईडी	10	08	उपस्थित
विक्रम श्रीवास्तव	एनईआईडी	09	07	नहीं
एम. रमन	एनईआईडी	09	05	नहीं
गुरिन्दरजीत सिंह सन्धू	एनईआईडी	01	01	लागू नहीं

ई.डी.- कार्यकारी निदेशक, एन.ई.डी.- गैर कार्यकारी निदेशक, एन.ई.आई.डी. -गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

टिप्पणी:

1. श्री आर.जी. राजन दिनांक 21-08-2013 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नहीं रहे।
2. श्री सी.एम.टी. ब्रीटो, निदेशक (तकनीकी) आरसीएफ, ने निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त कार्यभार संभाला हुआ था, दिनांक 01.11.2013 से निदेशक के पद पर नहीं रहे।
3. श्री एम सागर मैथ्युज़ ने 01.11.2013 से निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार संभाला।

4. श्री गुरिन्दरजीत सिंह सन्धू ने 21.02.2014 से निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला ।
5. सुश्री नीरू अबरोल, निदेशक (वित्त) को दिनांक 02.05.2013 से पुनः नियुक्त किया गया और उन्होंने 22.08.2013 से 14.05.2014 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला । उन्हें 15.05.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया ।

2.9 अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचना में निम्नलिखित शामिल है:

बोर्ड को कंपनी में उपलब्ध किसी सूचना को लेने का पूरा अधिकार है । बोर्ड को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना में निम्नलिखित शामिल है:-

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अद्यतन सूचना ।
- कैपिटल बजट एवं अपडेट
- कंपनी के तिमाही परिणाम
- वार्षिक लेखा, प्रबंधन चर्चा विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट आदि
- लेखा-परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त
- कंपनी सचिव की नियुक्ति या हटाए जाने सहित बोर्ड स्तर से तत्काल नीचे के वरिष्ठ कार्यपालकों की भर्ती और पारिश्रमिक से संबंधित सूचना ।
- प्रमुख पूंजीगत निवेश, संयुक्त उद्यमों का गठन, आरएण्डडी परियोजना या तकनीकी सहयोग करार ।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनका प्रस्तावित समाधान । मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन करार पर हस्ताक्षर, प्रोत्साहन योजनाएं, चिकित्सा सुविधाएं, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि ।
- उनके द्वारा अन्य कंपनियों द्वारा धारित निदेशक पद और समिति के पदों के बारे में निदेशकों द्वारा रुचि अभिव्यक्त करना ।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित सूचना तथा विभिन्न कानूनों के अनुपालन पर रिपोर्ट ।
- अधिशेष निधियों का अल्पावधि निवेश
- उधार की स्थिति
- कोई संविदा (संविदाएं) जिसमें/जिनमें निदेशक (कों) का हित जुड़ा हो
- बड़े ठेके अवार्ड करना
- विभिन्न इकाईयों/कार्यों के निष्पादन पर रिपोर्ट
- विदेशी विनिमय लेनदेन सहित जोखिम भरे तथ्यों की समीक्षा करना
- सतर्कता कार्यकलापों पर रिपोर्ट
- अन्य महत्वपूर्ण सूचना ।
- कारण बताओ, मांग, अभियोग नोटिस और दण्ड नोटिस, जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हों ।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, अन्य महत्वपूर्ण बहिष्कार या प्रदूषण समस्याएं
- कंपनी को और उसके द्वारा वित्तीय बाध्यताओं में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेची गई वस्तुओं के लिए पर्याप्त रूप से भुगतान न होना ।
- कोई मुद्दा, जिसमें संभावित पब्लिक या पर्याप्त पद्धति के उत्पाद देयता दावे शामिल हों, जिसमें कोई निर्णय या आदेश सम्मिलित हो, जिसने कंपनी के आचरण पर निर्देश पारित किए हों या अन्य उद्यम, जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में प्रतिकूल दृष्टिकोण हो ।
- लेनदेन जिसमें गुडविल, ब्रांड समानता या बौद्धिक संपत्ति के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल हो ।

- महत्वपूर्ण प्रकृति के, निवेश, संतोषजनक परिसंपत्तियों की बिक्री, जो सामान्य व्यवसाय में नहीं आती ।
- विदेशी मुद्रा जानकारी का तिमाही ब्योरा तथा प्रबंधन द्वारा प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि वास्तविक हो, के जोखिमों को सीमित करना ।
- किसी विनियामक, सांविधिक या लिस्टिंग अपेक्षाओं और शेयरधारक सेवा जैसे लाभांश का भुगतान, शेयर अंतरण में विलंब, आदि का अनुपालन न करना ।
- कम्पनी की व्हीसल ब्लोअर नीति की पुनरीक्षा ।

3. निदेशक मण्डल की समितियां

बोर्ड कम्पनी की रणनीतिक दिशा, प्रबंधन नीतियां एवं उनकी प्रभावीशीलता का मूल्यांकन करके सुनिश्चित करता है कि स्टेकहोल्डर्स के दीर्घ अवधि हितों को प्रदान किया गया है। बोर्ड ने निदेशकों की कई बैठकें गठित की हैं जिसमें आडिट समिति, शेयरहोल्डर्स/निवेशक शिकायत कमेटी, पारिश्रमिक समिति, शेयर स्थानान्तरण कमेटी, निवेश समिति, कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं टिकाऊ विकास समिति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति, व्यापार विकास एवं रणनीति योजना समिति शामिल है।

संदर्भ की शर्तें एवं बोर्ड समितियों के अन्य ब्यौरे

3.1 लेखा-परीक्षा समिति

कंपनी का प्रयास है कि लेखा-परीक्षा समिति का गठन, कोरम, कार्यक्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम 1956 सूची करार के प्रावधानों एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो। लेखा-परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- कंपनी की लेखांकन नीतियों और पद्धतियों, वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समय-समय पर समीक्षा करना ।
- लेखा-परीक्षकों के साथ समय-समय पर चर्चा करना तथा उनके निष्कर्षों, सुझावों पर विचार करना तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता लेखा-परीक्षा के कार्यक्षेत्र, लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियों तथा अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा करना तथा लेखांकन मानकों का अनुपालन करना ।
- आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्यक्रमों का अनुमोदन तथा उनके निष्पादन की निगरानी करना ।
- अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खण्ड 2कक के अनुसार निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण शामिल है, लेखांकन नीतियां तथा उनमें परिवर्तन, लेखा-परीक्षा रिपोर्टें तथा संबंधित पार्टी लेनदेन खुलासा, सूची के अनुसार अनुपालन तथा वित्तीय वितरणों से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताएं शामिल हैं ।
- सांविधिक और आंतरिक लेखा-परीक्षकों के प्रबंध निष्पादन की समीक्षा करना, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा सुधार के लिए सुझाव देना जिनमें आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग, कवरेज, आंतरिक लेखा-परीक्षा की आवृत्ति, महत्वपूर्ण टिप्पणियां आदि शामिल हैं ।
- आंतरिक लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा-परीक्षक तथा निदेशक मण्डल के बीच बातचीत के अवसर उपलब्ध कराना ।
- बकाया तथा कंपनी द्वारा सामना किए जा रहे जोखिमों की समीक्षा करना ।
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों को देय शुल्क की पुनरीक्षा ।
- विदेशी मुद्रा जोखिम की समीक्षा करना ।
- आंतरिक लेखा-परीक्षकों, कर लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक की समीक्षा करना ।

बैठकों की संरचना एवं उपस्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की बैठकें 5 बार बुलाई गईं अर्थात् 29 मई, 2013, 12 अगस्त, 2013, 24 अक्टूबर, 2013, 11 नवंबर, 2013 तथा 11 फरवरी, 2014। सूचीबद्धता करार की आवश्यकता के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र होने चाहिए। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292ए के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे जिनमें से दो-तिहाई सदस्य प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के अलावा होंगे।

पूरे वर्ष के दौरान पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, पूरे वर्ष के दौरान समिति का गठन न तो सूचीबद्धता करार की अपेक्षा के अनुसार था और न ही कंपनी अधिनियम 1956 के अनुरूप था। लेखा-परीक्षा कमेटी की संरचना तथा वर्ष 2013-14 के दौरान बैठकों में

उपस्थिति निम्न प्रकार थी:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम (सर्वश्री)	स्थिति	कार्यकाल		संबंधित कार्यकाल के दौरान बैठके	
			से	तक	आयोजित	उपस्थिति
01.	मुनिकोटि निरंजन राव	अध्यक्ष	11.05.2011	5.5.2014	5	5
02.	सी.एम.टी. ब्रीटो	सदस्य	29.5.2013	31.10.2013	2	2
03.	कैप्टन पवन कुमार कौल	सदस्य	4.12.2012	29.05.2013	1	1
04.	सुरेश चन्द्र गुप्ता	सदस्य	24.10.2011	29.05.2013	1	1
05.	एम. रमन	सदस्य अध्यक्ष	29.05.2013 12.05.2014	11.05.2014 जारी	3 लागू नहीं	3 लागू नहीं
06.	एम.सागर मैथ्युज़	सदस्य	01.11.2013	जारी	2	2
07.	गुरिन्दरजीत सिंह सन्धू	सदस्य	21.02.2014	जारी	लागू नहीं	लागू नहीं
08.	विक्रम श्रीवास्तव	सदस्य	26.05.2014	जारी	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी:-

समिति का पुनर्गठन

- 29 मई, 2013 को किया गया जब श्री सी.एम.टी. ब्रीटो, निदेशक (तकनीकी) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया ।
- 21 फरवरी, 2014 को किया गया जब श्री जी एस सन्धू को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया ।
- 01 नवम्बर, 2013 को किया गया जब श्री एम सागर मैथ्युज़ ने निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।
- 12 मई, 2014 को किया गया जब श्री एम रमन को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया ।
- 26 मई, 2013 को किया गया जब श्री विक्रम श्रीवास्तव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया ।

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने आडिट कमेटी की बैठकों में भाग लिया । लागत लेखा परीक्षकों ने भी इन बैठकों में भाग लिया जब लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं संबंधित मामलों पर चर्चा की गई । कारपोरेट प्रमुख वित्त, आन्तरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख एवं अन्य कार्यात्मक प्रमुखों को विशेष रूप से आमंत्रितियों के रूप में आमंत्रित किया गया था । कम्पनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है ।

3.2 शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति

कार्यक्षेत्र:

शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति के कार्यक्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशकों की शिकायतों का समाधान करना, विशेषकर शेयरों के अंतरण / ट्रांसमिशन, लाभांश, डिमैटरिएलाइजेशन, गुम / चोरी हुए / क्षतिग्रस्त शेयर प्रमाण-पत्रों को बदलना, पृथकीकरण, परिवर्तन तथा अन्य संबंधित मुद्दे तथा निवेशक के साथ परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करना शामिल है । अनुपालन अधिकारी होने के कारण कंपनी सचिव को विशेष रूप से शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने तथा उसे समिति के समक्ष रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।

संरचना

वर्ष 2013-14 के दौरान तथा उसके बाद समिति की संरचना निम्न प्रकार थी:-

क्र. सं.	निदेशक (सर्वश्री)	स्थिति	कार्यकाल	
			से	तक
01.	मुनिकोटि निरंजन राव	अध्यक्ष	31.1.2013	29.5.2013
02.	विक्रम श्रीवास्तव	अध्यक्ष	29.5.2013	जारी
03.	सुश्री नीरु अबरोल	सदस्य	29.5.2013	14.5.2014
04.	सतीश चन्द्र	सदस्य	4.12.2012	30.6.2014
05.	कैप्टन पवन कुमार कौल	सदस्य	4.12.2012	29.5.2013
06.	सुरेश चन्द्र गुप्ता	सदस्य	29.5.2013	12.5.2014

शिकायतों पर संक्षिप्त सूचना

1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों और समाधान की गई शेयरधारकों की शिकायतों का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

समाप्त तिमाही	प्राप्त शिकायतें	समाधान की गई शिकायतें	लंबित शिकायतें
30.06.2013	221	221	शून्य
30.09.2013	203	203	शून्य
31.12.2013	510	510	शून्य
31.03.2014	102	101	01
कुल	1036	1035	01

वर्ष के अंत तक खोए हुए सर्टिफिकेट से संबंधित लम्बित शिकायत, जिनका शेयरहोल्डर की संतुष्टि के लिए समाधान किया जा चुका है।

3.3 पारिश्रमिक समिति

संरचना और कार्यक्षेत्र

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक पर निर्णय उर्वरक विभाग द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति की ओर से लिया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा के अंदर बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को सिटिंग शुल्क का भुगतान किया जाता है।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक में मूल वेतन, पर्स, परफार्मैन्स प्रोत्साहन, सेवा-निवृत्ति लाभ शामिल होते हैं जिन्हें सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। दिशा-निर्देशों के ढांचे के अंतर्गत कंपनी की पारिश्रमिक नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, उनके योगदान को मान्यता देना, संगठन में गरिमा को बनाए रखना तथा योग्यता को पुरस्कृत करना है।

लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक पारिश्रमिक समिति का गठन करना होता है जो वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल तथा कार्यपालकों और गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षकों में उनके वितरण की नीति पर निर्णय लेती है। बोर्ड ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है और वर्ष 2013-14 तथा उसके बाद के लिये समिति की संरचना निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम (सर्वश्री)	स्थिति	कार्यकाल	
			से	तक
01.	मुनिकोटि निरंजन राव	अध्यक्ष	11.5.2011	5.5.2014
02.	गुरिन्दरजीत सिंह सन्धू	सदस्य अध्यक्ष	21.02.2014 12.05.2014	11.5.2014 जारी
03.	सतीश चन्द्र	सदस्य	25.2011	29.5.2013
04.	कैप्टन पवन कुमार कौल	सदस्य	31.1.2013	29.5.2013
05.	एम. रमन	सदस्य	29.5.2013	जारी
06.	विक्रम श्रीवास्तव	सदस्य	29.5.2013	जारी

3.4 कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं टिकाऊ विकास पर समिति

कम्पनी एवं उसके निष्पादन के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं टिकाऊ विकास योजना को बनाने एवं निगरानी करने के लिए समिति का गठन किया गया है। शासन सहित स्थिरता से संबंधित मामलों की देखरेख के लिये समिति को सशक्त भी किया गया है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निपटाने के लिए बोर्ड की सहायता करना समिति की प्रमुख जिम्मेदारी है। समिति का गठन एवं संदर्भ की शर्तें कम्पनी

अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करती है। समिति का मौजूदा गठन निम्नानुसार है :

1.	श्री गुरिन्दरजीत सिंह सन्धू	अध्यक्ष
2.	श्री विक्रम श्रीवास्तव	सदस्य
3.	कैप्टन पवन कुमार कौल	सदस्य

3.5 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति

समिति का गठन

1.	श्री विक्रम श्रीवास्तव	अध्यक्ष
2.	श्री एम. रमन	सदस्य
3.	श्री एम.सागर मैथ्युज	सदस्य

पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने एवं निगरानी करने की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति की मुख्य जिम्मेदारी है। समिति विभिन्न विभागों एवं यूनिटों में सुरक्षा, व्यवसायिकता स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय संरक्षण एवं सुरक्षा लेखा परीक्षा के लिए लागू नियमों एवं विनियमों, पद्धतियों, सुरक्षा प्रणाली के अनुपालन की भी पुनरीक्षा करती है।

3.6 व्यापार विकास एवं रणनीति योजना समिति

समिति का गठन

1.	श्री एम. रमन	अध्यक्ष
2.	श्री विक्रम श्रीवास्तव	सदस्य
3.	श्री गुरिन्दरजीत सिंह सन्धू	सदस्य
4.	श्री एम.सागर मैथ्युज	सदस्य

कम्पनी की विकास रणनीति को विकसित करने के लिए व्यापार विकास एवं रणनीति योजना समिति बनाई गई है। समिति रणनीति योजना, रणनीति गठजोड़, संयुक्त उद्यम, विविधताओं एवं नए व्यापार क्षेत्रों से संबंधित सभी मामलों में सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है।

4. वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा सिटिंग शुल्क

4.1 कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

निदेशक का नाम (सर्वश्री)	भत्तों सहित वेतन	सेवा-निवृत्ति लाभ	योग
सुश्री नीरु अबरोल	2358643	208453	2567096
कैप्टन पवन कुमार कौल	2838754	220184	3058938
श्री एम. सागर मैथ्युज	915000	84825	999825
कुल	6112397	513462	6625859

सरकारी नामांकक एवं कार्यकारी निदेशकों को कोई सिटिंग शुल्क देय नहीं होगा।

4.2 स्वतंत्र निदेशकों को दिए जाने वाला सिटिंग शुल्क

गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड और/या उनकी समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹10,000 सिटिंग शुल्क के रूप में दिए जाते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को दिए जाने वाला सिटिंग शुल्क निम्न प्रकार है:-

(राशि ₹ में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठकें	लेखा-परीक्षा समिति एवं अन्य बैठकें	योग
श्री मुनिकोटि निरंजन राव	80000	90000	170000
श्री विक्रम श्रीवास्तव	70000	60000	130000
श्री एम. रमन	50000	80000	130000
श्री गुरिन्दरजीत सिंह सन्धू	10000	-	10000
कुल	210000	230000	440000

4.3 स्टॉक ऑप्शन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया

5. आम सभा की बैठकें :

5.1 पिछली तीन वार्षिक आम सभा बैठकों का ब्योरा निम्न प्रकार है:-

बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख	समय	स्थान	विशेष पारित संकल्प यदि कोई हो, का ब्योरा
वर्ष 2010-11				
वार्षिक आम बैठक	12.09.2011	प्रातः 11.30 बजे	एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली-110010	शून्य
वर्ष 2011-12				
वार्षिक आम बैठक	11.09.2012	प्रातः 11.30 बजे	एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली-110010	आईटम नं. 7 के रूप में एक विशेष संकल्प पारित किया गया था जिसके अनुसार शेयरों की वापस खरीद के बारे में आर्टिकल 37एए जोड़कर आर्टिकल ऑफ ऐसोसियेशन में संशोधन किया गया। क्योंकि विशेष संकल्प पारित करने के बाद 30 दिनों के अन्दर अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये यह संकल्प लैप्स हो गया।
वर्ष 2012-13				
वार्षिक आम बैठक	17.09.2013	प्रातः 10.30 बजे	एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली-110010	आईटम नं. 6 के रूप में एक विशेष संकल्प पारित किया गया था जिसके अनुसार शेयरों की वापस खरीद के बारे में आर्टिकल 37एए जोड़कर आर्टिकल ऑफ ऐसोसियेशन में संशोधन किया गया।

5.2 आगामी वार्षिक आम बैठक में ऐसा कोई कार्य करने का प्रस्ताव नहीं है जिसके लिए पोस्ट बैलट के जरिए विशेष संकल्प पारित करने की जरूरत हो।

5.3 असाधारण आम बैठक

वर्ष के दौरान कोई असाधारण आम सभा नहीं बुलाई गई थी।

6. खुलासा:

- कंपनी द्वारा निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों और उनके संबंधियों के साथ केवल एएस-18 "संबंधित पक्षकार उद्घाटन" के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन के अंतर्गत उद्घाटित, जिसे वार्षिक रिपोर्ट में सैट-आउट किया गया है, को छोड़कर, मैटीरियल प्रकृति का कोई लेनदेन नहीं किया गया था, जो कंपनी के हितों के प्रतिकूल हो।
 - कंपनी ने पूंजी बाजार से संबंधित मामलों का विनियामक प्राधिकारियों की अपेक्षाओं के अनुसार अनुपालन किया है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी के खिलाफ कोई दण्ड/निंदा प्रस्ताव नहीं लगाया गया है।
 - कंपनी ने बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति को छोड़कर सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा कुछ गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाया गया है।
7. कम्पनी द्वारा अनुपालन न करने पर पिछले तीन वर्ष के दौरान स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक अथारिटी द्वारा लगाया गया दण्ड, अवक्षेप अथवा कैपिटल मार्केट से संबंधित कोई अन्य मामला।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कैपिटल मार्केट से संबंधित किसी मामले पर कम्पनी द्वारा अनुपालन न करने का कोई उदाहरण सामने नहीं आया और इसलिये स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक अथारिटी द्वारा कोई दण्ड अथवा अवक्षेप नहीं लगाया गया।

8. अनुपालन अधिकारी

श्री टेक चंद, कंपनी सचिव को बोर्ड द्वारा अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

9. संचार के साधन

- आडिट कमेटी की सिफारिशों पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित, कंपनी के तिमाही (बिना लेखा-परीक्षित लेकिन समीक्षा किए गए) तथा वार्षिक लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किये जाते हैं।
- वर्ष 2013-14 के लिए तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों को निम्नलिखित प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया है:-

समाप्त तिमाही	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र
30 जून, 2013	13 अगस्त, 2013	इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता (हिंदी) द फाइनेंशियल एक्सप्रेस
30 सितम्बर, 2013	12 नवंबर, 2013	इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता (हिंदी) द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी)
31 दिसंबर, 2013	13 फरवरी, 2014	टाइम्स आफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स
31 मार्च, 2014	29 मई, 2014	इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता (हिंदी) और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस

- प्रत्येक तिमाही के अंत में शेयरधारक पैटर्न की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को भी दी जाती है।
- तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम तथा शेयरधारक पैटर्न कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
- निदेशक मण्डल की संरचना में परिवर्तन होने की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को दी जाती है।
- सभी आफिशियल प्रेस रिलीज कंपनी की वेबसाइट पर डाली जाती हैं।
- कंपनी ने निवेशकों के लिए विशिष्ट ई-मेल आईडी investor@nfl.co.in बनाई है।

10. सामान्य शेयरधारक सूचना

(i) कंपनी के पंजीकरण का विवरण

कम्पनी दिल्ली में पंजीकृत है। मामला मंत्रालय द्वारा कम्पनी को कारपोरेट पहचान (सीआईएन) नम्बर L74899DL1974GOI007417 आवंटित किया गया है।

(ii) वार्षिक आम सभा बैठक

दिनांक: 05 सितंबर, 2014 को प्रातः 10:30 बजे

स्थान: मानकशा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली –110010

(iii) पत्र व्यवहार का पता:—

- स्कोप परिसर, कोर-III, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003
- ए-11, सेक्टर 24, नोएडा – 201301

(iv) वेबसाइट

वार्षिक रिपोर्ट, तिमाही वित्तीय परिणामों आदि जैसे सूचना से संबंधित शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट www.nationalfertilizers.com पर उपलब्ध होते हैं।

पत्र-व्यवहार के लिए टेलीफोन नं. व ई-मेल संदर्भ नीचे दिया गया है:—

	दूरभाष सं.	फैक्स सं.
पंजीकृत कार्यालय	011-24360066	011-24361553
निवेशक सेवा प्रकोष्ठ	0120-2412322 फैक्स: 0120- 3292201-08	0120-2411132 एवं 0120-2412397
ई-मेल आईडी	investor@nfl.co.in	
कंपनी सचिव: श्री टेक चन्द	0120-2412322	0120-2411132

(v) वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वित्तीय कैलेंडर

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015
पहली तीन तिमाहियों के लिए अन-आडिटिड वित्तीय परिणाम	प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिनों की अवधि के अंदर
चौथी तिमाही के परिणाम	31 मई, 2015 को या उससे पहले लेखा-परीक्षित परिणाम
एजीएम (अगला वर्ष)	सितंबर, 2015 (अनंतिम)

(vi) खाता समाप्ति

सदस्यों का पंजीकरण और शेयर स्थानान्तरण खाता 01 अगस्त, 2014 तक बंद रहेंगे।

(vii) ई-मतदान

40वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान देने की सुविधा दी जाएगी और सीडीएसएल द्वारा दी गई ई-मतदान सेवाओं के जरिए व्यापार का लेनदेन किया जा सकता है। ई-मतदान की सुविधा 30 अगस्त, 2014 से (प्रातः 10.00 बजे से) 01 नवम्बर, 2014 (सांय 05.00 बजे तक) तक उपलब्ध रहेगी।

(viii) लाभांश का भुगतान

निदेशक मण्डल ने लाभांश देने की सिफारिश नहीं की।

(ix) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण

साम्य शेयर

कंपनी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड.

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

स्क्रिप कोड:	एनएसई: एनएफएल	बीएसई: 523630
एनएसडीएल एवं सीडीएसएल में डीमैट आईएसआईएन नम्बर	आईएनई870डी01012	

ऋण प्रतिभूतियां

कम्पनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर एनएसई की थोक ऋण बाजार (WDM) में सूचीबद्ध हैं।

डिबेंचर ट्रस्टीज

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, ग्राउण्ड फ्लोर, 17, आर कामनी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुम्बई- 400001

x) बाजार मूल्य डाटा

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों का मासिक उच्च और न्यून मूल्य निम्नानुसार था:-

बीएसई में मासिक उच्च एवं न्यून शेयर मूल्य

माह	कंपनी का स्टॉक मूल्य		तदनुरूपी बीएसई, सेनसेक्स शेयर मूल्य सूचकांक	
	उच्च (₹)	न्यून (₹)	उच्च	न्यून
अप्रैल, 2013	52.10	44.00	19622.68	18144.22
मई, 2013	53.45	42.65	20443.62	19451.26
जून, 2013	47.50	33.00	19860.19	18467.16
जुलाई, 2013	35.80	25.25	20351.06	19126.82
अगस्त, 2013	27.80	17.80	19569.2	17448.71
सितम्बर, 2013	22.20	18.25	20739.69	18166.17
अक्तूबर, 2013	23.70	19.65	21205.44	19264.72
नवंबर, 2013	26.45	21.10	21321.53	20137.67
दिसंबर, 2013	26.95	23.05	21483.74	20568.70
जनवरी, 2014	26.25	21.80	21409.66	20343.78
फरवरी, 2014	24.80	22.00	21140.51	19963.12
मार्च, 2014	24.75	22.80	22467.21	20920.98

एनएसई में मासिक उच्च एवं न्यून शेयर मूल्य

माह	कंपनी का स्टॉक मूल्य		तदनुरूपी एनएसई शेयर मूल्य सूचकांक	
	उच्च (₹)	न्यून (₹)	उच्च	न्यून
अप्रैल, 2013	51.30	44.00	5962.30	5534.70
मई, 2013	53.70	42.65	6229.45	5910.95
जून, 2013	47.65	32.55	6011.00	5630.95

माह	कंपनी का स्टॉक मूल्य		तदनुरूपी एनएसई शेयर मूल्य सूचकांक	
	उच्च (₹)	न्यून (₹)	उच्च	न्यून
जुलाई, 2013	35.90	25.10	6093.35	5675.75
अगस्त, 2013	29.00	17.70	5808.50	5118.85
सितम्बर, 2013	22.20	18.15	6130.95	5318.90
अक्टूबर, 2013	23.80	19.75	6309.05	5700.95
नवम्बर, 2013	26.45	21.00	6342.95	5972.45
दिसम्बर, 2013	26.85	23.25	6362.25	6129.95
जनवरी, 2014	26.45	21.85	6355.60	6027.25
फरवरी, 2014	25.00	22.10	6017.80	5933.30
मार्च, 2014	24.90	22.75	6730.05	6212.25

प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10 रुपए है।

(xi) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

मैसर्स एमएएस सर्विसेस लिमिटेड
टी-34, दूसरा तल, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया,
फेज-II, नई दिल्ली-110020
दूरभाष: 011-26387281-83, फैक्स 011-26387384
ई-मेल: mas_serv@yahoo.com

(xii) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2014 को विभिन्न प्रकार के शेयरधारकों के द्वारा धारित शेयर नीचे दिए गए हैं:-

(क) आकार के अनुसार:

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर धारकों की संख्या	कुल का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
500 तक	34231	94.420	1808250	0.369
501 से 1000	1083	2.987	912860	0.186
1001 से 2000	435	1.200	669612	0.137
2001 से 3000	151	0.417	382508	0.078
3001 से 4000	81	0.223	290983	0.059
4001 से 5000	59	0.163	280702	0.057
5001 से 10000	114	0.314	851030	0.173
10001 और अधिक	100	0.276	485382455	98.941
कुल	36254	100.00	490578400	100.00

(ख) शेयरधारिता पैटर्न

	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
(क)	प्रमोटर और प्रमोटर समूह की शेयरधारिता (भारत सरकार)		
I	भारतीय	441520560	90.00
II	विदेशी	-	-
	उप योग	441520560	90.00
(ख)	सार्वजनिक शेयरधारिता संस्थान		
I	संस्थान	38181807	7.78
II	गैर-संस्थान	10876033	2.22
	उप योग	49057840	10.00
	कुल योग	490578400	100.00

(xiii) बकाया जीडीआर, एडीआर, वारंट या अन्य परिवर्तनीय संस्थान आदि

कंपनी ने ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की है।

(xiv) 31 मार्च, 2014 को शेयरों के डिमैटरिएलाइजेशन की स्थिति

कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से डिमैटरिएलाइज्ड प्रणाली में की जाती है। कंपनी ने दोनों कंपोजिटरों अर्थात नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी निवेशकों को साथ-साथ हस्तांतरण-सह-डीमैट सुविधा भी प्रदान करती है। 31 मार्च, 2014 को डिमैटरिएलाइज्ड एवं फिजिकल रूप में धारित शेयरों की स्थिति निम्नानुसार है :

धारिता का साधन	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता
एनएसडीएल	46115383	9.40
सीडीएसएल	444273650	90.56
फिजिकल	189367	0.04
कुल	490578400	100.00

(xv) शेयर स्थानान्तरण प्रणाली

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के जरिए कंपनी के इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग केवल डिमैटरिएलाइज्ड फार्म में ही की जा सकती है। फिजिकल रूप में धारित शेयरों के मामले में विधिवत पृष्ठांकित आंतरिक शेयर प्रमाणपत्रों को दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के अंदर प्रेषित किया जाता है बशर्ते कि दस्तावेज वैध और हर तरह से पूर्ण हों। बोर्ड ने शेयर स्थानान्तरण समिति को स्थानान्तरण एवं संचरण आदि को अनुमोदित करने के लिए अथारिटी प्रत्यायोजित की है। कम्पनी लिस्टिंग एग्रीमेंट की धारा-47 के अंतर्गत अपेक्षित शेयर स्थानान्तरण औपचारिकताओं के साथ अनुपालन के छमाही सर्टिफिकेट कम्पनी सचिव से प्राप्त करती है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों में फाइल किया जाता है।

डिपोजिटरीज का नाम एवं पता निम्न प्रकार है:-

1. नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड,
ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड,
सेनापती बपत मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई - 400 013
2. सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड,
फिरोज जीजीभाई टावर्स,
28वां तल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400023

(xvi) उत्पादन इकाइयों का स्थल

कम्पनी के मुख्य उत्पाद, यूरिया उर्वरक, के उत्पादन के लिए उत्पादन-यूनिट निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है:-

क्र.सं.	स्थल
1.	नंगल : नया नंगल, जिला रोपड़, पंजाब – 140126 दूरभाष सं. 01887-220570 फ़ैक्स नं. 01887 – 220541
2.	बठिण्डा : सिबियां रोड, बठिण्डा, पंजाब – 151003, दूरभाष सं. 0164-2270261 / 2760262, फ़ैक्स नं. 0164-2270463 / 2760270
3.	पानीपत : गोहना रोड, पानीपत हरियाणा – 132106, दूरभाष नं. 0180 – 2652481-83, 2652485, 2681304, फ़ैक्स नं. 0180-2652515
4.	विजयपुर-1 एवं II : विजयपुर, जिला गुना, मध्य प्रदेश – 473111 दूरभाष नं. 07544-273528 / 529, फ़ैक्स नं. 07544-273089 / 273109

11. सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणीकरण

कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी लिस्टिंग एग्रीमेंट की धारा-49 के अनुसार बोर्ड को वित्तीय रिपोर्टिंग एवं आन्तरिक नियंत्रणों पर वार्षिक प्रमाण देते हैं। कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी लिस्टिंग एग्रीमेंट की धारा-41 के अनुसार बोर्ड के समक्ष वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करते समय वित्तीय परिणामों पर तिमाही प्रमाणीकरण भी देते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा दिए वार्षिक प्रमाण इस रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं।

12. लेखा परीक्षा एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा की जाती है। सीएजी सरकार की नीति के अनुसार सरकारी लेखा परीक्षा भी करते हैं। कम्पनी के पास एक आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग है जिसमें तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों के प्रोफेशनल कार्यरत हैं। चार्टर्ड एकाउण्टेंट की बाहरी फर्म स्वतंत्र आन्तरिक लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करती है। कम्पनी सुनिश्चित करती है कि बिजिनस विधि, सांविधिक एवं विनियामक अनुपालनों के अनुसार किया जाता है।

13. जोखिम प्रबंधन प्रणाली

कम्पनी ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाई है जिसमें अनेक जोखिमों को शामिल किया है जो कम्पनी का खुलासा करते हैं। जोखिम प्रबंधन पर तिमाही जोखिम पुनरीक्षा रिपोर्ट निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। मुख्य जोखिमों के प्रभाव एवं उनके निवारण के लिए अल्पावधि एवं दीर्घावधि आधार पर की गई कार्यवाही पर निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षा समिति द्वारा चर्चा की जाती है।

14. विधि अनुपालन

बोर्ड को प्रत्येक तिमाही में सांविधिक एवं अन्य अनिवार्य विधि अनुपालनों से अवगत कराया जाता है। बोर्ड को प्रत्येक तिमाही के दौरान विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनाओं से भी अवगत कराया जाता है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

15. व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी

कंपनी अपने व्यावसायिक लेनदेन में पारदर्शिता और औचित्य में विश्वास रखती है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने कर्मचारियों और अन्य शैयरधारकों को व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी नामक एक प्रणाली उपलब्ध कराई है ताकि अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचरण नियमावली का उल्लंघन या आचार नीति के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट की जा सके। इस नीति में कर्मचारियों, जो इस प्रणाली का उपयोग करते हैं, के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान व्हीसल ब्लोअर प्रणाली के अंतर्गत कोई खुलासा नहीं किया गया है अतः समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी।

16. सत्यनिष्ठा समझौता (Integrity Pact)

पारदर्शिता एवं अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की वचनबद्धता के साथ, आपकी कम्पनी ने ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के साथ एक सत्यनिष्ठा समझौता (Integrity Pact) किया है एवं काण्ट्रेक्ट तथा प्रोक्योरमेंट आप्रेशन्स में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सत्यनिष्ठा समझौता (Integrity Pact) के कार्यान्वयन एवं प्रभावशीलता की निगरानी हेतु स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर, खरी निष्ठा के व्यक्तियों की नियुक्ति भी की है।

17. आचरण एवं नैतिक संहिता

कंपनी ने कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए "आचरण संहिता और आचार-नीति" अपनाई है। इसका उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय को नैतिकतापूर्वक ढंग से तथा निष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी से चलाना है। आचरण संहिता कंपनी की वेबसाइट www.nationalfertilizer.com पर उपलब्ध है। सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2014 तक आचरण संहिता तथा नीति का अनुपालन किया है।

सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 की अपेक्षा के अनुसार निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों और सभी वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

पंजीकृत कार्यालय:

स्कोप काम्प्लैक्स, कोर-3, 7, इंस्टीच्युशनल एरिया, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

दिनांक: 22 जुलाई, 2014

(नीरू अबरोल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 01279485

आंतरिक व्यापार हेतु संहिता

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 के अनुसरण में बोर्ड ने "इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध की आचरण संहिता" निर्धारित की है जिसका उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के आधार पर इनसाइडर द्वारा कंपनी के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकना है। इस संहिता के अंतर्गत इनसाइडरों (कार्यालय और विनिर्दिष्ट कर्मचारी) को ट्रेडिंग विंडों के बन्द रहने के दौरान कंपनी के शेयरों में लेनदेन करने से रोका जाता है। प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुमति की सीमा के बाद अनुपालन अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होती है। सभी निदेशकों/अधिकारियों/विनिर्दिष्ट कर्मचारियों को, जैसा कि संहिता में परिभाषित है, उसके अनुसार समय-समय पर संबंधित खुलासा करना होता है। कंपनी सचिव को इस संहिता के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

लेखा परीक्षकों के अनुपालन प्रमाण-पत्र

कम्पनी के लेखा परीक्षक मैसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कं0 एवं मैसर्स डीएसपी एण्ड एसोसिएट्स से प्राप्त प्रमाण-पत्र कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के साथ अनुपालन की पुष्टि करते हैं जैसा कि लिस्टिंग एग्रीमेंट की धारा 49 के अधीन निर्धारित है, निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न है जो वार्षिक रिपोर्ट का अविभाज्य भाग है।

कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

हम, नीरू अबरोल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सुनील भाटिया, महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)-प्रभारी नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड अपनी उत्कृष्ट जानकारी और विश्वास से यह प्रमाणित करते हैं कि:-

- हमने तुलन-पत्र और हानि लेखा तथा लेखाओं पर इसकी सभी अनुसूचियों और टिप्पणियों तथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा कर ली है। हमारी जानकारी और सूचना के अनुसार:-
 - इन विवरणों में कोई मैटीरियल असत्य विवरण नहीं है या किसी मैटीरियल तथ्य को हटाया नहीं गया है या ऐसा कोई विवरण नहीं है जो भ्रामक हो;
 - ये सभी विवरण कंपनी के कार्यों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, विद्यमान कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं।

2. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और सूचना के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी, अवैध हो या जिससे कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन होता हो।
3. कंपनी के अन्य प्रमाणन अधिकारी तथा हम कंपनी के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रक्रियाओं के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और रखरखाव हेतु जिम्मेदार है तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है।
4. कंपनी के अन्य अधिकारियों और हमने हाल के अपने मूल्यांकन, जहां लागू हो, के आधार पर कंपनी के लेखा-परीक्षकों तथा उनके द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को निम्नानुसार खुलासा किया है :
 - क. आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या प्रचालन में सभी महत्वपूर्ण कमियों, जिनकी हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं;
 - ख. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - ग. कोई धोखाधड़ी, जिसकी हमें जानकारी है और जिसमें प्रबंधन और अन्य कर्मचारी, जिनकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, शामिल हों;
 - घ. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा जिनका लेखा टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

(सुनील भाटिया)

महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)–प्रभारी

(नीरू अबरोल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 01279485

पंजीकृत कार्यालय:

स्कोप काम्प्लैक्स, कोर-3,
7 इंस्टीच्युशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक : 22 जुलाई, 2014